01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24-12-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी , पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने अपराध शाखा व महिला थाना का किया आकस्मिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।

दिनांक 24-12-2020 को **श्री राम अभिलाष त्रिपाठी**, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा **अपराध शाखा व महिला थाना** का आकस्मिक निरीक्षण किया गया | सर्वप्रथम महोदय द्वारा अपराध शाखा का आकस्मिक निरीक्षण कर साफ-सफाई एवं फाइलों के रख-रखाव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिया गया, तदोपरान्त महोदय द्वारा महिला थाना कार्यालय/दिवसाधिकारी/सीसीटीएनएस कक्ष/ बैरक/निर्माणाधीन महिला बैरक आदि का निरीक्षण कर थाना परिसर की साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये | थाने के विभिन्न अभिलेखों/रजिस्टरों का भी निरीक्षण गहनता से किया गया एवं अपूर्ण अभिलेखों/रजिस्टरों को पूर्ण करने हेतु श्रीमती मंजू सिंह प्रभारी निरीक्षक महिला थाना को निर्देशित किया गया।

महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक महिला थाना को निर्देशित किया गया कि वह महिला सम्बन्धित अपराध पर तत्काल कार्यवाही करें एवं जनता के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24-12-2020

स्वर्ण व्यवसायियों की हुई बैठक थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "शीत लहर/ कोहरा के दौरान बाजारों में चोरी जैसी घटना रोकने की दृष्टि गत cctv कैमरे की क्रियाशीलता व सुरक्षा व्यवस्था" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम मे श्री रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा चौकी बिस्कोहर मे कस्बा बिस्कोहर के सभी स्वर्ण व्यापारियों की मीटिंग की गई तथा सभी लोगों से दुकानों में cctv कैमरा को सक्रिय रखने व दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया गया।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24-12-2020

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 24-12-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 324 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 146 वाहनों का चालान कर ₹ 1,38,100/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

04

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24-12-2020

मोहाना पुलिस की कार्यवाही में धारा 60 आबकारी अधि0 के कुल108 मालों का निस्तारण किया गया

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह तहसीलदार नौगढ़ व श्री जय प्रकाश दुबे थानाध्यक्ष थाना मोहाना के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी अधि0 से सम्बन्धित कुल 108 मालों को तहसीलदार (मजिस्ट्रेट) के समक्ष नष्ट करते हुए निस्तारण किया गया।

05

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24-12-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक सदर के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा दिनांक 24.12.2020 को श्री राधेश्याम राय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में उ0नि0 श्री अजय सिंह, उ0नि0 चन्दन, हे0का0 अर्जुन यादव के द्वारा 01 अभियुक्त को सोहास स्टैण्ड मोड से एक अदद नाजायाज चाकू के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 352/2020 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण व बरामदगी का विवरण-

1. अनवार पुत्र मंजूर खाँ निवासी शास्त्री नगर थाना व जनपद सि0 नगर से मय 01 अदद चाकू बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अजय सिहं
2. उ0नि0 श्री चन्दन
3. हे0का0 अर्जुन यादव

06

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24-12-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.12.2020 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ.नि. राघवेन्द्र प्रताप यादव टीम द्वारा 01 अभियुक्त को ग्राम नीवी सुराहा के पास से 10 शीशी अवैध नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 323/20 धारा 60/63 आब.अधि. पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मुनिराम पुत्र मुरली सा. परसोहिया नानकार थाना शोहरतगढ़ जनपद सि0 नगर

बरामदगी का विवरण-

1. 10 शीशी नेपाली शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. राघवेन्द्र प्रताप यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।
2. हे का. शैलेष यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

07

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24-12-2020

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा थाना शोहरतगढ़ में शोहरतगढ़ सर्किल का अर्दली कक्ष/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षकगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 24-12-2020 को थाना शोहरतगढ़ में शोहरतगढ़ सर्किल के थानों शोहरतगढ़, ढेबरुआ, चिल्हिया का अर्दली कक्ष/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर शोहरतगढ़ सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षकगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

1. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण।
2. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)
3. धोखाधड़ी (419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण।
4. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण।
5. माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण।
6. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
7. वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
8. गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
9. टाप-10 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
10. चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी।
11. भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम,गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया। उक्त गोष्ठी के दौरान शोहरतगढ़ सर्किल के समस्त प्रभारी निरीक्षकगण एवं शोहरतगढ़ सर्किल के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।